

**बिहार, सरकार**  
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

पत्रांक-प्र06 / द0बि0-नियम-03-02 / 04

पटना, दिनांक

6/580/0000 9-7-14

प्रेषक,

राम प्रकाश सिंह  
संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित)  
सभी अधीक्षण (रा०उ०प० सहित)  
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित)

**विषय:- SBD/MBD/CMBD/ NH SBD** पर आधारित निविदाओं के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु Eligibility Criteria के संबंध में।

**प्रसंग:-** विभागीय पत्रांक-6866 (E) दिनांक-15.10.2012, 3376 (E) दिनांक-17.08.2010 एवं 4919 (S) दिनांक-13.05.2006

महाशय

निदेशानुसार कहना है कि F<sub>2</sub>, Standard Bidding Document (SBD), Model Bidding Document (MBD), Construction Maintenance Bidding Document (CMBD) आधारित निविदाओं के तकनीकी बीड का मूल्यांकन, उक्त bidding documents के Instruction to Bidder, Qualification Criteria एवं विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य मापदण्डों के आधार पर किया जाता है। कभी-कभी, अलग-अलग व्याख्या किए जाने के कारण तकनीकी बीड के मूल्यांकन के मापदण्ड में भिन्नता पायी जाती है।

2. पथ निर्माण विभाग में बिहार पथ आस्तिर्थाँ अनुरक्षण नीति 2013 के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली निविदायें MBD एवं CMBD पर प्राप्त की जाती है, जिसमें निविदा की न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं है। वैसे कार्य जिसका निविदा MBD, CMBD पर नहीं की जा सकती है, का निविदा SBD एवं अन्य Bidding Documents पर प्राप्त की जाती है। MBD एवं CMBD पर प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के तकनीकी बीड मूल्यांकन के लिए लगभग समान मापदण्ड है।



3. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 द्वारा विभाग में निबंधन की प्रक्रिया को काफी सरल किया गया है ताकि बिना कार्य अनुभव वाले संवेदक भी निबंधन कराकर निविदाओं में भाग ले सकते हैं। अतः इस परिपेक्ष्य में भी उक्त मानक अहर्ता में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होता है।

4. अतः तकनीकी बीडों के मूल्यांकन को सरल बनाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित मूल्यांकन Criteria निर्धारित किए जाते हैं:-

4.1 ₹50.00 लाख से ₹2.00 करोड़ तक के कार्यों के लिए तकनीकी बीड मूल्यांकन में निम्नांकित मापदण्ड निर्धारित किया जाता है:-

4.1.1 निविदा में भाग लेने वाले संवेदक विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधित हो तथा अद्यतन निबंधन प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न हो।

4.1.2 निविदा सूचना में अंकित परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि निर्धारित स्वरूप में समुचित रूप से संलग्न किया गया हो।

4.1.3 संबंधित कार्य के लिए न्यूनतम आवश्यक Key equipments के availability (either owned or leased or by procurement) का प्रमाण।

4.1.4 निविदित कार्य के समरूप न्यूनतम एक कार्य (minimum one similar work), जिसका न्यूनतम प्राक्कलित राशि निविदित कार्य के प्राक्कलित राशि का 10% हो, का क्रियान्वयन इच्छुक संवेदक द्वारा पूर्व में किया गया हो यह आवश्यक होगा।

4.1.5 निर्धारित आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ संलग्न किया गया हो।

" I, the Undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/ forged, the undersigned will be liable to be inflicted upon the FIR and lawful punishment as well as black listing".

₹2.00 करोड़ तक की राशि में उपर्युक्त दस्तावेजों को संलग्न करने वाले संवेदकों को तकनीकी बीड में सफल घोषित किया जायेगा।

5. SBD आधारित 2.00 करोड़ से उपर की निविदाएँ तथा MBD एवं CMBD आधारित सभी प्रकार की निविदाओं के तकनीकी बीड में सफलता के लिए निम्नांकित दो प्रक्रम निर्धारित किये जाते हैं, जिसमें प्रथम प्रक्रम तकनीकी बीड में सफलता के लिए Essential होगा तथा दूसरा प्रक्रम पर संवेदको से Clarification एवं Modification प्राप्त किया जा सकेगा।

*Handwritten signature*

5.1 **प्रथम प्रक्रम:**— यह प्रक्रम निविदाओं के तकनीकी बीड में सफल होने के लिए अनिवार्य होगी। इस प्रक्रम पर असफल पाये जाने वाले निविदाकारों के तकनीकी बीड प्रारंभ में अस्वीकृत होगा एवं किसी भी हालत में विचारणीय नहीं होगा।

5.1.1 प्रथम प्रक्रम में निम्न बिन्दु सम्मिलित होंगे:—

Qualifying Item	As per SBD Clause	As per MBD Clause	As per CMBD Clause
Registration	IFB/ NIT के अनुसार।	IFB/ NIT के अनुसार।	NIT के अनुसार।
Cost of BOQ	As per NIT/BOQ	As per NIT/BOQ	As per NIT/BOQ
Earnest Money	ITB-CI-16 & IFB	Clause-17.2 of ITB & as per N.I.T Sl. No.- 17	ITB-CI-16 & N.I.T Sl. No.-17
Experience: Similar Nature of Work	ITB Cl 4.5 (A)(b)	Section iii 2.4.1 & 2.4.2	ITB Cl 4.4(A)(b)
Turn Over	ITB-CI-4.5 (A) (a)	Section III 2.3.2	ITB Cl. 4.4(A)(a)
Legal Identity	ITB-CI-4.3(a) L.No.8131(S)We dt.24.7.12	4.1 of ITB & Form ELI.1.1,1.2,1.3 L.No.8131(S)We dt.24.7.12	ITB-CI-4.3(a) L.No.8131(S)We dt.24.7.12

5.2 **द्वितीय प्रक्रम:**— इस प्रक्रम पर SBD,MBD एवं CMBD के तहत Eligibility Criteria के निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निविदाकारों को Clarification & Modification का अवसर दिया जायेगा एवं इस क्रम में उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जाएगी जो निविदा प्राप्ति की तिथि के पूर्व के होंगे तथा निविदा के साथ अपलोड होंगे। निविदा प्राप्ति के बाद की तिथि के कागजातों/अभिलेखों की अनुमान्यता किसी भी स्थिति में नहीं दी जायेगी।

द्वितीय प्रक्रम में सम्मिलित बिन्दु :-

Qualifying Item	As per SBD Clause	As per MBD Clause	As per CMBD Clause
Technical Personnel	ITB Cl. 4.5 B (b)	Section III 2.5	ITB Cl 4.4 (B)(b)
Key Plant & Equipment	ITB Cl. 4.5 (B) (a)	Section III 2.6	ITB Cl 4.4 B(a)
Experience in terms of quantity	ITB Cl. 4.5 (A)(c)	Section III 2.4.2 (b)	ITB Cl. 4.4 (A)(c)
Bid Capacity	ITB Cl. 4.7	Section III Note Sl. No.3	ITB Cl 4.6
Programme of construction	ITB Cl. 4.3 (l) & 4.5 (B) (a)	Section IV schedule-V	ITB Cl. 4.3(l) 4.4 (B) (a)
Power of Attorney	ITB Cl. 4.2(iv)	Schedule-VIII From ELI.1.1	ITB Cl. 4.2(iv)
Liquid asset & Credit Facility	ITB Cl. 4.5(B)(c)	Section III 2.3.3	ITB Cl. 4.4(B)(c)

5.3 Litigation History, Investment ability, tender validity Period एवं Non association with departmental officials के अन्तर्गत SBD, MBD एवं CMBD के प्रावधानों को पूरा करने/पालन करने में जाँच की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई संवेदक निविदा में भाग लेता है तो यह माना जाएगा कि वे इन शर्तों को पूरा करते हैं। यदि बाद में पता चलता है कि वे इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो इसके आधार पर उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए उनके विरुद्ध विभाग में लागू बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

5.4 Proposal of Sub-Contract:- जब संवेदक प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक राशि के कार्य को किसी एक सब-कन्ट्रैक्टर से कराने का प्रस्ताव देते हैं तो सब-कन्ट्रैक्टर के विहित योग्यता आदि की जाँच करनी होगी। यदि सब-कन्ट्रैक्टर की योग्यता से विभाग संतुष्ट नहीं हो पाता है तो संवेदक को अपना प्रस्ताव वापस लेना होगा एवं उस भाग के कार्य को भी निविदादाता को स्वयं पूरा करना होगा अन्यथा माना जायेगा कि निविदादाता कार्य कराने में इच्छुक नहीं है इस परिस्थिति में संवेदक के जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

5.5 Joint Venture:- Joint Venture के रूप में निविदा में भाग लेने हेतु पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक प्र०-6/नियम-02/2010-8131 (एस), पटना दिनांक-24.07.2012 में अंकित शर्तों (परिशिष्ट-1) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

5.6 निविदा आमंत्रण सूचना में एकरूपता रखने के उद्देश्य से पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-8232 (ई0) दिनांक 18.12.2012 द्वारा निर्गत Model प्रारूप का प्रयोग किया जाय। MBD एवं CMBD में भी NIT का Model प्रारूप संधारित है जिसके अनुरूप ही निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाय। समय-समय पर विभाग द्वारा किये जा रहे संशोधन जो निविदा आमंत्रण सूचना से संबंधित हो के निविदा आमंत्रण सूचना में समावेशित किया जाये।

5.7 SBD, MBD एवं CMBD के Section-2 के तहत शपथ-पत्र (Affidavit) का प्रारूप संलग्न है। उसके अनुरूप ही शपथ-पत्र प्राप्त किया जाय।

5.8 कार्यानुभव के तहत Common एवं Major item of work के लिए ही अनुभव की मांग की जाए न कि Minor item के लिए। इसके लिए SBD, MBD एवं CMBD में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6866 (एस0) दिनांक 15.10.2012 को अनुसरण किया जाय।

उपरोक्त वर्णित मार्गनिदेश को निविदाओं की विशेष शर्तों में शामिल करने हेतु सभी मुख्य अभियंता अपने-अपने उपभागों में सुनिश्चित करेंगे तथा अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र के अनुमोदन में इसका समावेश करेंगे एवं तदनु रूप ही Bid document अपलोड किया जाए।

उपर्युक्त कंडिकाओं के संबंध में पूर्व से निर्गत एवं प्रासंगिक पत्र/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझा जाय।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

✓ 

संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग)  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र०६/द०बि०-नियम-०३-०२/०४

दिनांक:-

6158(S)  9-7-14

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Soft copy की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय website पर upload कराने हेतु प्रेषित।

✓ 

संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग)  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र०६/द०बि०-नियम-०३-०२/०४

दिनांक:-

6158(S)  9-7-14

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

✓ 

संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग)  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र०६/द०बि०-नियम-०३-०२/०४

पटना दिनांक:-

6158(S)  9-7-14

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

✓ 

संयुक्त सचिव(प्रबंधन कोषांग)  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2014  
08/7/2014